बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (III) य[1]– 14/ 2011– /पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय– विभागान्तर्गत लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा के विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर, सॉफ्टवेयर, ई–जरनल्स एवं पुस्तकों के क्रय हेतु कुल रू॰ 2,50,00,000=00 (दो करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा के पत्रांक–230, दिनांक 11.07.2015 द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर संस्थान के विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर, सॉफ्टवेयर, ई–जरनल्स एवं पुस्तकों के क्रय हेतु कुल रू॰ 2,50,00,000=00 (दो करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है–

क्रम	विषयशीर्ष	राशि (रूपये में)
1	13 01 कार्यालय व्यय	13,00,000=00
2	52 01 मशीनें एवं उपस्कर	2,37,00,000=00
	कुल	**2,50,00,000=00**

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2015–16 के आयोजना व्यय आय–व्ययक के "मुख्य शीर्ष– 4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0102– पोलिटेकनिक/ इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय" के अधीन 13 01 कार्यालय व्यय तथा 52 01 मशीनें एवं उपस्कर विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड– पी 4202021050102 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, छपरा से की जायेगी।

5. कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में स्वीकृत राशि से ई–जरनल्स एवं पुस्तकों का क्रय किया जायेगा। इनका क्रय सभी वर्षो के छात्रों की संख्या को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

6. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

7. उक्त स्वीकृत राशि से प्रक्रिया पालन के साथ नियमानुसार क्रय की जाने वाली मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होगें तथा क्रय की गई मशीनें, उपकरण एवं उपस्कर की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक सामग्री का क्रय नहीं की जायेगा।

8. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ –
(ओम प्रकाश राय)
सरकार के अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1]– 14/ 2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1]– 14/ 2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1]– 14/ 2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1]– 14/ 2011– 1794 /पटना, दिनांक– 7.8.015

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/प्रशाखा पदाधिकारी– 3/ बजट सहायक/ आईटी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/8/15

7/8/15
सरकार के अपर सचिव